मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे संविधान के तहत जैसा कमला सिन्हा जी ने कहा, यह निश्चित है कि अगर कोई भी एसोसिएशन देश की सॉवरिन्टी को खतरा पैदा नहीं करती तो उसे एसोसिएशन बनाने का मौका देना चाहिए। सारी बातें यहां की जा चुकी हैं। रेल में जो स्वयं चोरी के हादसे का शिकार हो चुका है वही इस दर्द का इस पीड़ा का अनुभव कर सकता है और मैं इसका शिकार खुद भी हो चुकी हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ: भूतपूर्व मंत्री भी हो चुके हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: भूतपूर्व मंत्री भी हो चुके हैं। पता नहीं, वर्तमान मंत्री जी भी हुए हों? और अगर नहीं हुए होंगे तो यह हादसा उनके साथ जरूर गुजरे, मैं तहेदिल से चाहूंगी कि यह हादसा उनके साथ जरूर गुजरे। उसके बाद मैं केवल उनसे आश्वासन चाहूंगी कि जैसा कि उन्होंने हल्का सा आश्वासन दिया भी कि या तो इस विधेयक को जो मैंने स्थापित किया, जैसा कि भाई ईश दत्त यादव जी ने कहा कि ज्यों का त्यों स्वीकार करलें या जैसा उन्होंने समय मांगा है, समय लेकर और हमें आश्वासन दें कि एक जोरदार विधेयक यहां लाएंगे जिससे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को अधिक शक्ति दी जाएगी, वह वास्तव में फोर्सफुल होगी और सचमुच सब अर्थों में रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा, रेलवे की सम्पत्ति तो यात्री होते हैं, उनकी सुरक्षा तथा सबकी गारंटी दी जा सकेगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगी। यदि वह आश्वासन दें तो मैं बिल को वापिस ले लूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ: मैडम, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इसमें रुचि भी है, आशक्ति भी है और सहानुभूति भी है। सारे मुद्दों को लेकर के हम सामने लाएंगे जिसमें सारी भावनाओं को जोड़ा जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mrs. Pandey, are you withdrawing your Bill?

SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY: Madam, in view of the Minister's assurance, I seek leave of the House to withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE RESERVATION OF POSTS FOR WOMEN IN GOVERNMENT SERVICES BILL, 1994

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now I will take up the Reservation of Posts for Women in Govenment Services Bill, 1994. Shrimati Veena Verma.

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

> "महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाकर समाज में उनकी दशा सुधारने हेतु सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण और तत्संगत मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, तो आपने इस समय सदन में मेरे गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय दिया है। यह विधेयक सम्पूर्ण भारत पर लागू हो, ऐसी मेरी इच्छा है, इस विधेयक का आशय है। मैं तो चाहती हूं कि सारा सदन इसको सपोर्ट करेगा। जैसा कि समय-समय पर मांग रहती रही है। ...(**व्यवधान**) देखिए, सुनने से पहले हथियार डालना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं, हम इस पर एक हैल्दी चर्चा करें और महिलाओं की स्थिति, वास्तविक स्थिति जो है, उस पर विचार करें और गंभीरतापूर्वक इसको स्वीकार करें। इसके अनुसार समुचित सरकार, केन्द्र व राज्य सरकारें सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेंगी इस बिल को मैंने सर्वप्रथम 30 अप्रैल, 93 को इस सदन में रखा था लेकिन आज चर्चा के लिए आया है।

महोदया, किसी भी देश की आधी जनसंख्या महिला होती है और हमारे देश की भी आधी जनसंख्या महिला है और किसी भी समाज की गाड़ी के दो पहिए कहलाते हैं स्त्री और पुरुष और आज तक हज़ारों सालों से इस गाड़ी के दो पहिए की स्थिति देखें तो एक तरफ पुरुष है और दूसरी तरफ महिला। पुरुष यही मानकर चलता है कि पुरुष सत्तात्मक परिवार समाज में एक पहिया है जिसका कि प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है और दूसरा पहिया जो स्त्री है, उसको वह कहीं भी नज़र नहीं आती तो वह जीवन की गाड़ी कैसे चल सकती है? वह समाज कैसे विकास कर सकता है? समय-समय पर चाहे वे बड़े-बड़े समाज-सुधारक हों महात्मा गांधी हों या बाल गंगाधर तिलक हों, (**व्यवधान**).... बहुत समय से प्राइवेट

[श्रीमती वीणा वर्मा]

संस्थाएं, ऐसोसिएशन्स और इस समाज की मांग रही है कि महिला प्रतिनिधित्व बहुत कम है समाज में। जैसे-जैसे महिला शिक्षा प्रचार बढ़ रहा है, हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो महिला प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है। महिलाएं नौकरियों में बहुत कम हैं। महिलाएं जहां ज्यूडिशियरी है, उसमें बहुत कम हैं। प्लानिंग कमीशन में जहां महिलाओं के लिए योजनाएं बनती हैं वहां पर भी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वह नगण्य है, ज़ीरो के बराबर है और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि महिलाएं और खास तौर से भारतीय समाज की महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में प्रताड़ित हैं, अत्याचार से ग्रसित हैं। उनका शोषण होता है और वे हर काम में हाशिये पर हैं। अब सिर्फ महिलाओं की ज़िम्मेदारी, परिवार देखना ही नहीं है बल्कि परिवार का पालन-पोषण करना या बच्चों की जिम्मेदारी बच्चे पालना और घर चलाना भी पूरी ज़िम्मेदारी महिलाओं की है और जब महिलाएं समाज में नौकरियां ढूंढने निकलती हैं तो उस समय महिलाओं को बिल्कुल हाशिये पर रखा जाता है और यह समाज का कोई दायित्व नहीं बनता है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझी जाती कि स्त्री को प्राथमिकता दी जाए। उसको पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए। स्त्री सब जगह है फिर भी कहीं नहीं है। उसके बिना न सृष्टि बनती है, न परिवार, न समाज और इन सबको बना कर वह स्वयं क्या बनती है और उसके हाथ क्या आता है, यह कोई नहीं पूछता। उसका होना सबके होने की शर्त है फिर भी उसके नहीं होने की फिक्र किसी को नहीं है। वह स्त्री है, स्त्री किसी भी समाज की, किसी भी देश की और किसी भी रंग की हो सकती है। यह अपनी जगह खोती है, हैसियत गंवाती है और लगातार हाशिये पर धकेल दी जाती है। आज़ादी को आज 47 वर्ष हो चुके हैं। ये समाज, बीसवीं सदी से इक्कीसवीं सदी में जाने के लिए सिर्फ पांच वर्ष रह गए हैं, बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। इक्कीसवीं सदी के मुहाने पर हम खड़े हैं लेकिन जब महिला प्रतिनिधित्व की बात आती है तो हम देखते हैं कि महिलाओं को आज भी दास या गुलाम की तरह से देखा जाता है। उनकी जिम्मेदारी को समझते हुए भी उनको प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। महिलाएं शिक्षित हो कर बड़ी संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर और अब तो पायलट भी बन गई हैं। डिफेंस में भी महिलाओं का प्रवेश हो चुका है और उन्होंने अपनी योग्यता, क्षमता का प्रदर्शन बहुत समझदारी से किया है और बहुत अच्छी तरह से किया है। हर जगह महिलाएं टॉपर्स हैं। दुख की बात है कि हर राजनीतिक पार्टी, जब भी चुनाव पास आता है तो उसका एक मुद्दा होता है कि हम महिला प्रतिनिधित्व देंगे या महिलाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी का वादा किया जाता है। लेकिन चुनाव होने के बाद हर पार्टी उसको भूल जाती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। सभ्य समाज ने आजादी के बाद महिलाओं से एक वायदा किया था कि महिलाओं को उनकी गरिमा, गौरव और सम्मान देने के लिए उनको शिक्षित और जागृत करने का जिम्मा लिया गया था, लेकिन आज उनकी स्थिति विचारणीय है। हमारा भारतीय संविधान कहीं कोई भेद नहीं करता। अनुच्छेद 14 में प्रत्येक स्त्री-पुरुष को बराबरी का दर्जा व संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के (1) और (2) में विशेषकर लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने की शक्ति हमारा संविधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार धर्म, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर राज्य के अधीन रोजगार देने में भेदभाव प्रतिबंधित है। फिर भी हमारे समाज में मैं यह कहना चाहूंगी कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और अल्प संख्यक नाम से हम बराबर नौकरियों में आरक्षण देते चले आ रहे हैं और हम लोग बार-बार इसकी मांग भी उठाते हैं। तो जब हमारी महिलाओं की आबादी देश की आधी जनसंख्या है तो क्यों नहीं जनसंख्या के आधार पर या स्त्री-पुरुष के नाम पर नौकरियों में, खास तौर से सरकारी नौकरियों में, जो मेरे बिल का आशय है, उस पर आरक्षण दिया जाए क्योंकि बहुत जरूरी है कि सरकार जब तक इस मुद्दे पर हमको आरक्षण नहीं देगी कि महिलाओं को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाना है तब तक इंडस्ट्रीयलाइज़ेशन के चलते, लिब्रलाइज़ेशन के चलते और प्राइवेटाइज़ेशन के चलते यह शंका से देखा जा रहा है कि महिलाओं को एक बार फिर पीछे किया जा रहा है और मैं आंकड़े भी देने को तैयार हूं कि औद्योगीकरण के चलते और नयी आर्थिक नीति के चलते महिलाएं एक बार फिर हाशिए पर जा रही हैं। एक समय था, इंदिरा जी का समय, इंदिरा गांधी जी ने भी इस आशय का एक मुद्दा रखा था कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। फिर यह प्रयास स्वर्गीय राजीव गांधी, हमारे सर्वप्रिय नेता और प्रधान मंत्री थे, उन्होंने पहली बार महिलाओं को लोकल बोड्रीज़ में, पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया या देने की बात उठायी। उस समय तो सरकार हमारी गिर गयी लेकिन आज आदरणीय प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंहराव जी ने यह वायदा पूरा करके दिखा दिया और बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायतों में चुनकर आयी है। 33 प्रतिशत आरक्षण से आयी हैं। तो क्यों नहीं हम इसे आगे बढ़ाते

हुए इसी परम्परा को जारी रखें और सरकारी नौकरियों में भी इसकी मांग करें। बहुत से राज्यों ने, महाराष्ट्र ने वायदा किया था कि महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देंगे, अलग से महिलाओं के लिए थाने बनाएंगे, महिला पोस्ट हर जगह रिजर्व करेंगे। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की है कि प्राइमरी स्कूल के स्तर पर मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मियों की भर्ती 30 प्रतिशत महिलाओं से की जाएगी। 30 प्रतिशत महिलाएं, उसमें शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स सब शामिल है।

श्री एच० हनुमनतप्पा (कर्णाटक): वहां तो 51 प्रतिशत हो जाना चाहिए।

श्रीमती वीणा वर्मा: जरूर हो जाएगा, आपकी यही भावना रही तो जरूर हो जाएगा। मैं यह कहना चाहती हूं मैडम, कि संगठित क्षेत्र में महिलाएं इस समय सिर्फ 12 प्रतिशत हैं और असंगठित क्षेत्र में 80 प्रतिशत काम कर रही है। घर का सारा काम, दो-तिहाई काम सब महिलाओं द्वारा होता है। खेती में 90 प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्रों में काम करती हैं, जहां न तो कोई लेबर ला लागू होता है, न देश का और कोई कानून लागू होता है। या यह कहा जाए कि वह काम बिना पैसे के जिसको कि अनउत्पादक माना जाता है, अनप्रोडक्टिव, उसको कहीं काम के घंटों में भी नहीं गिना जाता, इस तरह के काम की महिलाओं की जिम्मेदारी में हैं। महिलाएं जो नौकरी में लगी हुई हैं उनके कुछ आंकड़े मैं देना चाहती हूं। वैसे ऐसा सर्वे बहुत कम हो पाया है। एक सर्वे हुआ है, लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूं। 1951 से 90 तक 393 टोटल आई ए एस आफिसर्स इस देश में हुई। 95 आई ए एस आफिसर्स एज सिविल सर्वेन्ट काम कर रही थीं। उसमें एस डी ओ, एस डी एम, असिस्टेंट कलेक्टर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर्स और तीन एडीशनल सेक्रेटरीज थीं 1990-91 तक। 27 ज्वायंट सेक्रेटरीज हैं, 24 डिप्टी सेक्रेटरीज, दस अंडर सेक्रेटरीज, 150 आई ए एस वीमेन ऑन कैराइटी आफ पोस्ट्स एज मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रजिस्ट्रार आर वर्किंग। 17 आई ए एस वीमेन एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स राज्यों में थी, 87 वीमेन आई ए एस आफिसर्स फर अटेच्ड विद् गवर्नमेंट आफ इंडिया। ये 1991 के आंकड़े हैं। डेपुटेशन पर तीन महिलाएं कार्य कर रही थीं। 6 वीमेन अम्बेसडर्स 91 में थी, 30 आईपीएस आफिसर्स, 40 आईएफएस आफिसर्स थीं। इस तरह से आईएएस में जो थीं उसमें से कुछ गृह कार्य, कृषि, वित्त विभाग जैसे कम महत्वपूर्ण विभागों में काम कर रही थीं। दूसरे आंकड़े मैं टीचर्स के बारे में देना चाहती हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश)): मध्य प्रदेश में महिलाएं सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक हैं।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी महिला है।

श्रीमती वीणा वर्मा: माननीय सदस्य का कहना सही है। मैं भी मध्य प्रदेश से हूं लेकिन ये आंकड़े सन् 1951 से 91 तक के हैं। लेटेस्ट सर्वे अभी हमारी सरकार कर नहीं पाई है। महिलाओं के बारे में लेटेस्ट सर्वे बहुत कम हुआ है। 91 तक के आंकड़े हैं। टीचर्स का पैटर्न बहुत लम्बा है। प्राइमरी टीचर्स की संख्या वीमेन की ज्यादा है। मेल टीचर्स 26.97 परसेंट और फिमेल टीचर्स 73.03 परसेंट थी। लेकिन हाई स्कूल टीचर्स मेल की परसेंटेज 76.02 थी तो फिमेल टीचर्स की परसेंटेज 23.98 परसेंटेज थी टोटल 2,90,721 टीचर्स में से। युनिवर्सिटी कालिज में मेल परसेंटेज 81.35 थी। 1982 में और फिमेल की परसेंटेज 18.15 थी। ये टोटल 57,650 टीचर्स जो कालिज में अपाइंट हुए इसमें से 75.79 परसेंट मेल टीचर्स अपाइंट हुए और 24.21 परसेंट फिमेल टीचर्स।

बहुत से ऐवेन्यूज महिलाओं के लिए खुले हैं। इंजीनियरिंग में भी महिलाओं ने अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का परिचय दिया है। जो महिलाएं इंजीनियर्स हैं उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वीमेन इंजीनियर्स को बहुत जल्दी अपाइंटमेंट नहीं मिलता। उनके अनएम्पलायड के आंकड़े यहां देना चाहती हूं जो कि 1975 से 90 तक के थे। टोटल इंजीनियर्स थे 18,875। इसमें से 26.1 परसेंट वीमेन इंजीनियर्स थर अनएम्पलायड। 66.3 परसेंट एम्पलायड वीमेन इंजीनियर्स थी और 2.4 परसेंट सेल्फ एम्पलायड वीमेन इंजीनियर्स और 5.2 परसेंट पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेंट थीं। 89-90 में जिन्होंने इंजीनियरिंग पास की थी उसमें से 40 परसेंट वीमेन अनएम्पलायड थी। केरल में सबसे ज्यादा जाबलेस वूमेन सिविल इंजीनियर है, जहां पूर्ण साक्षरता है। वहां महिलाओं को नौकरी नहीं मिलती है। शिक्षा संस्थाओं में सबसे ज्यादा वूमैन इंजीनियर्स को इम्पलाई किया हुआ है, 26.9 परसेंट। ये आंकड़े एक अखबार के हैं जो 20.10.92 में छपे थे। गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज जो महिलाओं को सबसे ज्यादा इंजीनियर्स की नौकरी देती है उसका प्रतिशत 22 है। पब्लिक सेक्टर उसके बाद महिलाओं को नौकरी देता है

[श्रीमती वीणा वर्मा]

जो 18.9 परसेंट है। प्राइवेट इंडस्ट्री 12.7 प्रतिशत नौकरियां देता है और स्माल स्केल इंडस्ट्री अमांग प्राइवेट ये 9.1 परसेंट और गवर्नमेंट और आर एंड डी 1.9 परसेंट वूमैन इंजीनियर्स को जाब देता है।

महिलाओं के श्रम के आंकड़े में बताना चाहती हूं। 94 परसेंट इन्गेज्ड इन इनफार्मल सेक्टर एंड 81 परसेंट फीमेल एग्रीकल्चर लेबर एंड 87 परसेंट आफ फीमेल वरकर्स वर्किंग इन रूरल एरियाज एंड 17.5 परसेंट वोमैन वरकर्स इन अरबन एरियाज।

1951 में कृषि में जितनी महिलाएं थी उनकी संख्या घटी है। 1991 में कृषि में भी महिलाओं की संख्या घटी है और आर्गनाइज्ड सेक्टर में वूमैन 9.9 परसेंट थी और प्राइवेट सेक्टर 10.2 परसेंट थी। वे लेबर मार्केट में भी है लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): मिलता है।

श्रीमती वीणा वर्मा: औद्योगिकीकरण और प्राइवेटाइजेशन और मशीनीकरण के कारण महिलाओं की संख्या सभी सेक्टरों में घट रही है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। वूमैन एडवोकेट, यह बहुत लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है। फिर भी 1985 के जो आंकड़े बार कौंसिल आफ इंडिया के हैं, टोटल मेल एडवोकेट 96.39, आउट आफ 290676 और टोटल वूमैन एडवोकेट 3.6 आउट आफ 290676 थे।

यह बार बार कहा जा रहा है कि महिलाएं पोस्ट एंड टेलीग्राफ में बहुत बड़ी संख्या में आई है। यह सही है कि इसमें 2 से 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह जो आंकड़े हैं इनमें अधिक निम्न पदों पर कार्यरत महिलाओं के हैं। उच्च पदों में महिलाएं नगण्य हैं। यदि राजनीति में देखें तो महिलाओं की भागीदारी संतोष से कम है। अगर 1947 से 93 के आंकड़े देखें तो केन्द्रीय मंत्रिमंडल में 36 महिलाएं थी। महिलाओं की सर्वाधिक संख्या 84 में 44 थी। यह कुल जनसंख्या का 8.8 प्रतिशत था। दसवीं लोकसभा में घटकर यह प्रतिशत 7 प्रतिशत रह गया। राज्यसभा में 1980 में सबसे ज्यादा महिलायें थी जिनकी संख्या 28 थीं। हमारी उपसभाध्यक्ष महोदया जो बैठी हैं वह भी एक सम्मानित महिला है और हमारी उपसभापति श्रीमती नाजमा हेपतुल्ला जी है।

महोदया, महिलाओं के विषय में बहुत कम सर्वेक्षण हुआ है कि कितनी महिलायें बेरोजगार हैं। अब तक सह कान्सेप्ट ही नहीं था, यह चर्चा का विषय नहीं था ताकि इस तरफ ध्यान दिया जाता। महिलायें नौकरी करेंगी ऐसा कोई कान्सेप्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे महिलायें शिक्षित हो रही हैं, वे जागरूक हो रही हैं, स्किल्ड बन रही हैं वैसे वैसे यह आवश्यक हो गया है। इस पर आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ। शोध प्रबन्ध हुए हैं जिन्होंने बताया है मैं आपके सामने कौंसिल आफ साइंटिफिक एंड रिसर्च का आंकड़ा यहां प्रस्तुत कर रही हूं। चार लाख डिग्री प्राप्त महिलाओं में से केवल एक लाख 50 हजार महिलाएं नौकरियों में थी। सम्पूर्ण भारत में कामकाजी महिलाओं का सिर्फ चार प्रतिशत था और 62 प्रतिशत का वेतन पांच सौ से कम था। 1.17 प्रतिशत ऐसी नौकरियों में थी जहां वेतन पांच सौ से एक हजार के बीच में मिलता था। महिलाओं में बेरोज़गारी की दर भी बढ़ रही है। एक शोध के अनुसार जनसंख्या के साथ नौकरी पेशा श्रमिक महिलाओं की संख्या बढ़ी है लेकिन औसत में नौकरी पेशे में आने में गिरावट आई है। औद्योगिक क्षेत्र में 1971 से 1981 के बीच में 2.37 प्रतिशत गिरावट आई। दूसरे क्षेत्रों में 1971 से 1975 के बीच में 0.68 प्रतिशत से 0.18 प्रतिशत हो गई, गिरावट आई। डाक्टरी पेशे में भी महिलाओं की कमी आई। पब्लिक सेक्टर में 10 प्रतिशत कम आने लगी है। भारी उद्योगों में 1970 से 1975 तक गिरावट आई, 0.68 प्रतिशत से 0.18 प्रतिशत हो गई। निरंतर औद्योगिकीकरण से महिलाएं हाशिये पर जा रही है। महिलाओं को अपना केरियर अपनाने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उनके लिए घर में जिम्मेदारियां कम नहीं है। उनको घर का काम भी देखना होता है, बच्चों को संभालना होता है। इसके बावजूद भी वह नौकरियों में आना चाहती है तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उनको आरक्षण दे। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला का प्रथम कर्त्तव्य शादी के बाद अपने घर को संभालना है और बच्चों को बड़ा करना है लेकिन जब उसके बच्चे 14-15 वर्ष के हो जाएं जब वह सोचती है कि वह बाहर काम करने निकले। उस समय वह ओवर-ऐज हो चुकी होती है। प्राइवेट संस्थाएं बहुत कम उस समय महिलाओं को नौकरी में लगाती हैं। इसलिए सरकार का यह दायित्व बनाता है कि महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दे। वैसे मांग तो यह होनी चाहिये थी कि हम 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग करें लेकिन मैं समझती हूं कि जब हमें पंचायतों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 30 प्रतिशत को मैंने मांगा है। इस पुरूष सत्तात्मक समाज ने कानून बहुत बनाए हैं लेकिन वह सब कानून पुरुषों के लिए बने हैं। अब बहुत जरूरी है कि

महिलाएं प्लानिंग कमीशन में आएं, ज्युडिशियरी में आएं क्योंकि वहां महिलाएं बहुत कम हैं। यदि घर में भी प्रताड़ित हो तो वह इन मजबूरियों के चलते बाहर समाज में निकलती है और नौकरी चाहती है या राष्ट्र की मुख्य धारा में अपना बराबर का सहयोग देना चाहती है, राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग देना चाहती है तो फिर उसके लिए अवसर प्रदान करना किसी भी सरकार का कर्त्तव्य बनता है। जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को अल्पसंख्यक समाज को सरकार काम करने के अवसर प्रदान करती है उसी तरह से महिलाएं भी एक ऐसा समुदाय है। मैं तो कहूंगी कि महिलाएं अल्पसंख्यक समुदाय है जिसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए सरकार का कर्त्तव्य बनता है, सब पार्टीज़ का कर्त्तव्य बनता है कि महिलाओं को आरक्षण दे कर उसको बराबरी के मुद्दे पर लाए। अंत में मैं थोड़ा सा अपने इस बिल के उद्देश्यों और कारणों को आपके सामने रखना चाहती हूं—

हमारे संविधान में पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता की गारंटी दी गई है, किन्तु हमारे समाज की कठोर सच्चाई यह है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता, जिसका नतीजा यह है कि महिला वर्ग अभी भी सामाजिक रूप से उपेक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यद्यपि देश में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और साक्षरता का भी प्रसार हुआ है, तथापि रोज़गार के क्षेत्र में नियोजिक तथा कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है। महिलाओं में बेरोज़गारी की दर बढ़ती जा रही है। 1971-1981 के बीच औद्योगिक क्षेत्र में उनकी संख्या में 2.37 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी उनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है इसका कारण हमारे समाज का परंपरागत और रुढ़िवादी होना है। हमारा समाज महिलाओं को घर की चहारदीवारी में बंद रखने में गर्व का अनुभव करता है, भले ही उन्होंने पुरुषों के साथ स्पर्धा कर और पढ़ाई पर भारी धनराशि खर्च के उपरांत अपनी स्नातकीय, स्नातकोत्तर तथा व्यवसायिक उपलब्धियां भी प्राप्त कर ली हों। आज भी एक आम माता पिता यह सोचते है कि योन्य कन्या को घर गृहस्थी के कामों में अवश्य निपुण होना चाहिए। इस प्रकार समाज महिलाओं को रोजगार में न लगाकर उनकी उन्नति के द्वार बंद कर देना चाहता है। इसके अतिरिक्त मशीनीकरण, औद्योगिककरण और वैज्ञानिक प्रोद्योगिकी के इस युग में इस दिशा में भी महिलाओं को प्रशिक्षित नहीं किया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि इन क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। परिणामस्वरूप रोजगार के कुल अवसरों में महिलाओं की भागीदारी गिरकर 4 प्रतिशत रही गयी है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार और समाज पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक तथा आर्थिक समानता लाना चाहती है तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी सरकारी नौकरियों में उनके लिए कम से कम 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर उन्हें प्रोत्साहन देना होगा ताकि वे समाज में पुरुषों की बराबरी पर आ सकें और उन्हें भी देश के विकास और आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया से जोड़ा जा सके।

मैडम, मेरे पास बहुत सी महिलाएं आती हैं या संस्थाएं बार बार, समय समय पर प्रदर्शन करती हैं कि महिलाओं पर अत्याचार का सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर नहीं होना है। मैंने पिछले सत्र में जैसा कि उपसभाध्यक्ष महोदया आपको और सदन को पता है कि एक गैर सरकारी विधेयक रखा था जिसमें मैंने पति की सम्पत्ति में शादी के दिन से ही पत्नी को उसकी प्रापर्टी में आधा अधिकारी मांगा था—विवाहित महिला अधिकार संरक्षण बिल। उसके अनुसार मैं यह वादा चाहती थी कि महिलाओं को घर में बराबर की सम्पत्ति मिले। उसको अर्धांगिनी बनाया जाए। किसी कारणवश कोई असामयिक घटना होने के कारण या महिलाओं को हम इतना शिक्षित करते हैं फिर भी उसके घर बसाने का जो हम लोगों में एक रुढ़िवादितापन घुसा हुआ है उसके चलते महिलाएं बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं हो पाती है। अपने आत्मसम्मान, गौरव और अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए भी अब महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर नौकरियों में आने लगी है। अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा और अखबारों में देखा होगा कि जब स्कूलों के रिजल्ट्स आते हैं हाईस्कूल आदि के तो महिलाओं ने लड़कों से ज्यादा मेरिट में नम्बर पाए। लेकिन कालेजों में एडमिशन के समय उनको पीछे हटा दिया जाता है। मैं तो यहां तक चाहूंगी कि जो छात्राएं हैं एडमिशन के समय भी हर स्कूल कालेज में उनको 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। जो मेरिट में आती हैं उन महिलाओं का अलग से 30 प्रतिशत आरक्षण रखा जाए। उस महिला को तो पुरस्कार दिया जाना चाहिए जो घर में मां का दायित्व निभाती हैं और जब वह पढ़ी लिखी या स्किल्ड महिला बाहर निकलती है तो बराबरी से नौकरी में भी अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है और पूरी निष्ठा, लगन तथा कार्यकुशलता से अपनी

[श्रीमती वीणा वर्मा]

ड्यूटी निभाती है। उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। जहां भी महिलाएं जिस पोस्ट पर भी हैं उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया है, बेटर, रिजल्ट्स दिखाएं है। जैस कि समय समय पर यह बात उठ रही है कि समाज में कुछ अपराधीकरण बढ़ रहा है, समाज गलत रास्ते की तरफ चल पड़ा है या हमारे मूल्यों का अवमूल्यन हो चुका है, चरित्र का ह्रास हुआ है, इसमें भी बहुत जरूरी है कि महिलाएं जो कि अच्छे चरित्र का परिचय देते है और अपनी निष्ठा शत प्रतिशत अपने काम के प्रति लगाती हैं उनको, जरूरी है कि आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। देखा गया है कि उनको अवसर ही नहीं मिलता। कहा जाता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें तो पढ़-लिख कर ठीक है एम०ए० पास कर लिया, बी०ए० पास कर लिया, बी०एड० भी कर लिया, चाहे वकील भी हो गई, लेकिन करना क्या है। शादी करके घर ही तो बैठना है या बच्चे पालना है। तो उनकी पढ़ाई पर पूरा समय कितना पैसा व्यय होता है? लेकिन इस योग्यता का अगर हम लाभ न उठाएं तो फिर उस समाज को क्या कहिए कि जहां प्रतिनिधित्व के नाम से सिर्फ यह कहा जाए कि महिला होने के नाते ही तुम्हें अलग रहना है या नौकरी नहीं मिलनी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। हमारे प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव जी को हम महिलाओं की तरफ से मैं बधाई देना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने कि पंचायतों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देकर उनमें आत्म विश्वास की भावना जागृत की है। मैं तो यह भी उम्मीद करती हूं कि हमारी भावनाएं उन तक पहुंचेंगी कि हमको अभी तो आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षण हम महिलाएं पूरी जिन्दगी के लिए नहीं चाहतीं तब तक चाहती है जब तक कि पुरुष के बराबर, एट पार न आ जाएं। जब तक अवश्य ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाए।

मैडम, आप जानती हैं कि बहुत लंबे समय से कई सौ साल से, कहीं आजादी के समय से यह भावना पैदा की गई कि महिलाएं भी कुछ करके दिखा सकती हैं और महात्मा गांधी तो अपने दोनों तरफ, अगल-बगल, दाएं-बाएं महिलाओं को साथ में ले करके चलते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा आह्वान किया कि महिलाएं कुछ कर सकती हैं और बहुत बड़ी संख्या में आजादी की लड़ाई में महिलाएं पढ़ी-लिखी, अनपढ़ सभी महिलाओं ने अपना योगदान दिया और उस समय एक अधिकार की भावना का समावेश हुआ कि महिलाओं में भी मूल अधिकार जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए या है तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं यह कहूंगी कि महिलाओं को भी काम का अधिकार होना चाहिए। उस अधिकार को यदि हमको इस तरह से न मिले तो आरक्षण देकर उसको बढ़ाया जाए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): कम से कम 10 मिनट और बोलिए।

श्रीमती वीणा वर्मा: नहीं, मैं तो बहुत बोल सकती हूं। मैडम, जब महिला के पास आर्थिक रूप से उसका कोई जरिया नहीं होता तब महिला के पास सिर्फ गलत रास्ते जाने या फिर शोषण, अत्याचार सहने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। अब वैसे तो देवदासी प्रथा इस देश में कम हो रही है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई महिलाओं को आर्थिक कमी की वजह से बहुत शोषण सहने पड़ते हैं या ऐसे गलत काम करने पड़ते हैं। अभी तक तो पुरुष समाज ही गलत कामों में लगा हुआ था, चाहे ड्रग एब्यूज़ हो या समलिंग हो, लेकिन अब कुछ केसेज़ ऐसे आ रहे हैं कि महिलाएं भी गलत कामों में लगी हुई हैं लेकिन उनको अगर आर्थिक रूप से सम्पन्न बना दिया जाए तो फिर यह सही होगा कि महिलाएं इस देश में बेहतर रिज़ल्ट्स दिखायेंगी। मैं तो यह चाहती हूं कि इस बिल पर सब पार्टीज़ मुझे समर्थन देंगी क्योंकि देखा गया है कि जब भी चुनावी वायदे होते हैं तो महिलाओं को आरक्षण देने के बात, महिलाओं को राज्य सभा में सीट देने की बात, लोक सभा में सीट देने की बात, बराबर से प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात चलती है। चाहे विधान सभा हो, चाहे लोक सभा हो, या राज्य सभा हो या कोई इलैक्टेड बॉडी, उसमें चुनावी वादा किया जाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन आगे नहीं बढ़ाया जाता है। मैं तो चाहूंगी कि एक और बिल यह संसद् जल्दी ही लाए जिस तरह से पंचायतों में दिया गया है उसी तरह से विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा तथा सभी इलैक्टेड बाडीज़ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और मेरे इस बिल पर सभी पार्टीज़ समर्थन देंगी बल्कि मैं चाहूंगी कि वे इस बिल को पास कराने में हमारा सहयोग देंगी और एक ऐसी सहमति बनाएंगी कि सरकार जल्दी ही इस पर सोचने के लिए बाध्य हो जाए कि किस तरह से महिलाओं को जल्दी-से-जल्दी आरक्षण देकर एक बिल आरक्षण देने के लिए लाया जाय और वह इस सदन में पास हो, लेकिन इससे पहले बहुत जरूरी है कि इस को एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा भी बनाया जाए ताकि बहस हो क्योंकि उससे महिलाओं के परिश्रम का, महिलाओं की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन अवश्य होगा।

महोदया, महिलाओं की बेरोजगारी के आंकड़े आज तक कभी प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। उस के लिए भी सर्वे कराया जाए और समय-समय पर हमारे एन०जी०ओ०-ज० की जैसी मांग रहती है और जब मीटिंग में महिलाएं विचार करती हैं तो उस में वे बड़े जोश से अपनी बात कहती है और हमारे नेतागण, हमारे बड़े आका हम लोगों को वायदा करते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे और हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।

महोदया, मैं जह मानकार चलती हूं कि आज यह जो मैंने बिल रखा है, उस पर हमारे सहयोगी विचार करेंगे, सहमत होंगे और अपनी राय से सदन को भी अवगत कराएंगे और समर्थन देंगे। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARADE): It is 5-30 p.m. now. We would like to continue the discussion on this Bill on the next Private Members' Day for Bills.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, look at the interest of the Members in Women's affairs.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: महिलाएं भी नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You cannot blame Mr. Mathur. He was present throughout. You should congratulate him.

I adjourn the House till eleven o'clock on Monday.

The House then adjourned at thirty-one minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 7th August, 1995.